

26/11/2019

पत्रावली पेश हुई। भविष्यका उभयपक्ष एवं
 उभयपक्षकाएन अनुपस्थित। न्यायालय
 समय तक एक-एक कर भावार्थ
 दिखाई गई। बावजूद मूलान अनुपस्थित।
 पत्रावली दिनांक 22/03/2019 के बहस
 के लिए विचारणीय है लेकिन बहस
 नहीं कर मामले को लंबा कर रहे हैं।
 न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित
 अवसर दिया गया लेकिन उक्तण को
 लेकर पैली में खनी नहीं है। अतः
 अपील अपीलार मध्य हाजरी एवं मध्य
 पैली में खगति की जाती है पत्रावली
 के साथ उभयपक्ष नभर से मध्य हाजरी
 जाइ वक्रील दापिल उपेवता। भाव्य कर उभयपक्ष
 सुनाया गया।



दिनांक
 26/11/19
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 वाडमेर -